

न्यायालय:- चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म.प्र.)

(समक्ष : विकास शुक्ला)

व्यवहारवाद प्रकरण क्र0 12ए/2017

F.No. RCSA/13/2017

संस्थापित दिनांक 03.01.2017

1. सुरेश पुत्र छोटे सिंह उम्र 60 वर्ष
निवासी गोहदी दरवाजा जग्गी मोहल्ला
गोहद, जिला भिण्ड म.प्र.
2. सिरादेवी पत्नी जुडावन उम्र 75 वर्ष
निवासी मौ तहसील गोहद जिला भिण्ड
हाल निवासी रतनपुरा तहसील व जिला
भिण्ड

आवेदक / वादीगण

वि रू द्ध

1. शेर सिंह पुत्र मूंगाराम उम्र 40 वर्ष
2. बल्लू पुत्र मूंगाराम उम्र 35 वर्ष
3. सोनू पुत्र मूंगाराम उम्र 32 वर्ष
4. राकेश पुत्र हाकिम यादव उम्र 37 वर्ष
निवासीगण ग्राम रतनपुरा तहसील व
जिला भिण्ड म0प्र0

अनावेदकगण / प्रतिवादीगण

(// आदेश //)

(आज दिनांक **30.01.2018** को पारित किया गया)

1. यह आदेश आवेदक/वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम-1 व 2 सहपठित धारा 151 सीपीसी (आई.ए.नम्बर-1) का निराकरण करेगा।
2. वादपत्र के अभिवचन एवं आवेदन के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम रतनू पुरा जिला भिण्ड में वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य का एक आवासीय भवन व पशु बाधने का गोडा वादग्रस्त संपत्ति स्थित है, जिसका मानचित्र वाद पत्र के साथ संलग्न है। वादग्रस्त संपत्ति वादी क्रमांक 2 व वादी क्रमांक 1 की मां गंगा देवी ने डिल्लीराम से विक्रय पत्र दिनांक 09.02.

1971 के अनुसार कय की थी। गंगादेवी की मृत्यु हो चुकी है और गंगादेवी का वादी क्रमांक 1 एक मात्र वारिस है। वादीगण का मकान में निवास है और गोडा में पशु बाधते हैं एवं नीम के वृक्ष लगे हैं। वादी क्रमांक 2 वृद्ध होने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 से मदद लेती है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त संपत्ति से कोई संबंध नहीं है और प्रतिवादीगण ग्राम रतनपुरा में पृथक से बने मकान में निवास करते हैं। 18.06.2016 से 22.6.2016 के मध्य प्रतिवादीगण ने गोडा में खड़े नीम के पेड़ों को काटकर एवं मकान का ताला तोड़कर घर गृहस्थी का सामान निकाल लिया। प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 गांव के होने के कारण वादी क्रमांक 2 की मदद करते हैं। प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 ने वादग्रस्त मकान को तोड़ने की धमकी दी है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना वादीगण के पक्ष में है। अतः वादी सुरेश ने मय शपथपत्र के यह आवेदन प्रस्तुत कर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त संपत्ति का न तो विक्रय करे और न वादीगण के कब्जे में हस्तक्षेप करे।

3. प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 ने लिखित कथन में वादपत्र के अभिवचन एवं आवेदन के जवाब में आवेदन के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये व्यक्त किया है कि वादग्रस्त संपत्ति पर वादीगण का कोई स्वत्व, आधिपत्य नहीं है। वादीगण मौ व गोहद में निवासरत है। वादीगण ने वादग्रस्त संपत्ति का एक लाख रुपये मूल्य प्राप्त कर प्रतिवादीगण को विक्रय कर कब्जा दे दिया है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त संपत्ति में ही परिवार के साथ निवास करते हैं। प्रतिवादीगण का वादीगण से कोई झगडा नहीं हुआ है। पूर्व में वादीगण से कोई विवाद न होने के कारण प्रतिवादीगण ने बयनामा नहीं कराया था। वादीगण का वादग्रस्त संपत्ति पर कोई कब्जा नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना वादी के पक्ष में नहीं है। अतः आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। आवेदन के जवाब के समर्थन में प्रतिवादी राजेन्द्र ने शपथपत्र प्रस्तुत किया है।

4. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि—

क्या प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन आवेदक/वादीगण के पक्ष में है तथा यदि अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की गई तो, क्या आवेदक/वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है?

5. वादीगण का अभिवचन एवं शपथपत्रीय कथन है कि वादग्रस्त संपत्ति उनके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.02.1971 के अनुसार कय की गई है। प्रतिवादीगण का अभिवचन एवं शपथपत्रीय कथन है कि वादग्रस्त संपत्ति को वादीगण ने एक लाख रुपये में प्रतिवादीगण को विक्रय कर कब्जा दे दिया, परंतु बयनामा नहीं हुआ था। उभयपक्ष के अभिवचन एवं शपथपत्रीय कथन से इस संबंध में कोई विवाद होना दर्शित नहीं होता है कि वादग्रस्त संपत्ति के पूर्व स्वामी विक्रय पत्र दिनांक 09.02.1971 के अनुसार वादी क्रमांक 1 की मां गंगादेवी तथा वादी क्रमांक 2 थी। जहां तक वादग्रस्त संपत्ति को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को विक्रय किये जाने का संबंध है, प्रतिवादीगण ने ही अभिवचन में व्यक्त किया है कि कोई बयनामा नहीं कराया गया था और संपत्ति को कय करने के संबंध में एक लाख रुपये प्रतिफल दिया गया था। विक्रय संपत्ति के अंतरण का एक माध्यम है और संपत्ति अंतरण अधिनियम एवं रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अनुसार 100 रुपये से अधिक संपत्ति के विक्रय की दशा में विक्रय पत्र का पंजीयन कराया जाना आज्ञापक है। ऐसी स्थिति में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण के द्वारा किये गये अभिवचन से उन्हें प्रथम दृष्टया उन्हें वादग्रस्त संपत्ति का स्वामी होना नहीं माना जा सकता, बल्कि प्रथम दृष्टया वादग्रस्त संपत्ति के स्वामी वादीगण है।

6. जहां तक वादग्रस्त संपत्ति पर वादीगण के आधिपत्य का प्रश्न है, वादीगण के द्वारा वाद पत्र में न तो वादग्रस्त संपत्ति की कोई माप या चतुर्सीमा लिखी गई है और न ही वादपत्र के साथ कोई नक्शा तत्संबंध में संलग्न किया गया है, बल्कि अभिवचन में बिना नक्शा संलग्न किये ही यह तथ्य उल्लिखित किये हैं कि वादपत्र के साथ नक्शा संलग्न किया जा रहा है।

वर्तमान में अभिलेख पर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि जिससे यह अवधारित किया जा सके कि वादग्रस्त संपत्ति पर किसका आधिपत्य है।

7. वादीगण ने यह वाद स्वत्व घोषणा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन के माध्यम से प्रतिवादीगण को वादग्रस्त संपत्ति के विक्रय किये जाने से निषेधित करने तथा वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से निषेधित करने की सहायता चाही है। उपरोक्त के आधार पर प्रथम दृष्टया वादग्रस्त संपत्ति पर वादीगण का आधिपत्य होना इस प्रक्रम पर दर्शित नहीं होता है तथा वादग्रस्त संपत्ति की वास्तविक स्थिति भी स्पष्ट नहीं है। तब अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन में चाही गई वांछित सहायता वादीगण को नहीं दिलाई जा सकती। इसके साथ ही जहां तक वादग्रस्त संपत्ति को प्रतिवादीगण द्वारा विक्रय करने से रोके जाने का संबंध है, उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया प्रतिवादीगण वादग्रस्त संपत्ति के स्वामी होना ही दर्शित नहीं है, तब इस तथ्य की कोई संभावना नहीं है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त संपत्ति को विक्रय कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को विक्रय से निषेधित किये जाने की सहायता भी नहीं दिलाई जा सकती।

8. उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में होना नहीं पाया जाता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में नहीं है।

9. जहाँ तक सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना का प्रश्न है, उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में होना नहीं पाया गया है, तब ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना भी वादीगण के पक्ष में होना नहीं पायी जाती है। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति की संभावना भी वादी के पक्ष में नहीं है।

10. अतः उपरोक्त दर्शित तथ्य एवं परिस्थितियों में अस्थाई निषेधाज्ञा के

तीनों सिद्धांत वादीगण के पक्ष में न होने से वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता खारिज किया जाता है।

(विकाश शुक्ला)
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (मध्यप्रदेश)

आदेश आज दिनांक- 30.01.2018 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(विकाश शुक्ला)
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (मध्यप्रदेश)